न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 300/2024

अनवान : –

1. जंगीराराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स0 3 रानीया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– **वादी**

बनाम्

1. देशराज पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. मुखराम पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. प्रताप पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. कृष्ण पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. अर्जुन पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **असल प्रतिवादीगण**

7. तेजाराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. जीताराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
9. बलवीर राम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. सुखपाल कौर पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
11. सरदारो बाई पुत्री बिल्लो बाई माता दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
12. बालाराम पुत्र बिल्लो बाई माता दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
13. आलोबाई पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
14. राजरानी पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

–**तरतीबी प्रतिवादीगण**

15. बलवीरो पत्नी रणजीत सिंह जाति बाजीगर निवासी चक अबोरिया तहसील सादुलशहर मटिली जिला श्रीगंगानगर।
16. जोगन्द्रो देवी पत्नी मुक्त्यार राम जाति बाजीगर निवासी पक्का कला बाजीगर महोल्ल तहसील जिला भटिण्डा।
17. सुखप्रीत पत्नी थानेदार जाति बाजीगर साकिन रता खेड़ा तहसील ऐलनाबाद।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 28/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 4.0480 हैक्ट भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1. 265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 66/66 के प0न0 330/410 मु0न0 47 के किला न0 2 से 8 की 7 बीघा, किला न0 1[illegible] की 6 किला, 23 से 25 की 3 बीघा कुल 16 बीघा भूमि है जिसमें भूरा वल्द [illegible] हाडाराम 5 किला, पुनुराम वल्द लालुराम 3 किला व जगुराम वल्द [illegible] ने दिनांक 04.06.19[illegible] किमतन खरीद की थी जबकि राजस्व रिकार्ड में जगुराम वल्द लालु [illegible] पुरा व लालु के सही [illegible] दर्ज कर दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पुनुराम वल्द लालु राम ने करीबन 3 बीघा के स्थान पर 4 बीघा भूमि कतई गलत तौर से दर्ज की गई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के 1/8 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 के 1/16 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 के 1/16 हिस्सा दर्ज है जबकि बैयनामा दिनांक 04.07.1967 के मुताबिक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 के पिता दाराराम वल्द हाड़ीराम ने 5 किला यानि 1.265 हैक्ट भूमि खरीद की थी वर्तमान में 0.253 हैक्ट भूमि कम दर्ज कर दी गई जबकि मुताबिक बैयनामा के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 को 1.265 हैक्ट भूमि के बहिब दर्ज करनी थी। वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 की 0.253 हैक्ट भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता ने अधिक दर्ज करवा रखी है वो कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 7 के बहिब दर्ज की जावे। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में अपना हक हिस्स जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता का नाम कलमजन करने पर बनता है वो अपने भाई व वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है। मुताबिक राजीनामा वादी अकेला 0.6325 हैक्ट भूमि व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 अकेला 0.3795 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 17 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व 7 ता 17 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 20 जेएसएन सम्वत 2072–75 खाता स0 66/66, चित्रप्रति सहमती पत्र बहक पूर्णाराम आदि, चित्रप्रति बैयनामा, वारिस प्रमाण पत्र बहक दाराराम, जंगीरा राम, चित्रप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बिल्लो बाई, दानी बाई, दाराराम आदि पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये। अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 7 सीपीसी आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा ऐतराज जाहिर नही करने के कारण स्वीकार किया गया। अधिवक्ता वादी ने संशोधित दावा पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण [illegible] कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया [illegible] के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस [illegible]ई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 66/66 के प0न0 330/410 मु0न0 47 के किला न0 2 से 8 की 7 बीघा, किला न0 13 से 18 की 6 किला, 23 से 25 की 3 बीघा कुल 16 बीघा भूमि है जिसमें भूरा वल्द लालुराम 5 किला, दाराराम वल्द हाड़ीराम 5 किला, पुनुराम वल्द लालुराम 3 किला व जगुराम वल्द लालुराम 3 कौम बाजीगर ने दिनांक 04.06.1967 को किमतन खरीद की थी जबकि राजस्व रिकार्ड में जगुराम वल्द लालु व नुरा व लालु के सही तौर दर्ज कर दी गई जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पुनुराम वल्द लालु राम ने करीबन 3 बीघा के स्थान पर 4 बीघा भूमि कतई गलत तौर से दर्ज की गई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के 1/8 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण संख़्या 8 के 1/16 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 के 1/16 हिस्सा दर्ज है जबकि बैयनामा दिनांक 04.07.1967 के मुताबिक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 के पिता दाराराम वल्द हाड़ीराम ने 5 किला यानि 1.265 हैक्ट भूमि खरीद की थी वर्तमान में 0.253 हैक्ट भूमि कम दर्ज कर दी गई जबकि मुताबिक बैयनामा के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 को 1.265 हैक्ट भूमि के बहिब दर्ज करनी थी। वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 की 0.253 हैक्ट भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता ने अधिक दर्ज करवा रखी है वो कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 7 के बहिब दर्ज की जावे। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में अपना हक हिस्स जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता का नाम कलमजन करने पर बनता है वो अपने भाई व वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 के पिता पुनुराम वल्द लालुराम के नाम 0.2530 हैक्ट भूमि में से पुनुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 4.0480 हैक्ट भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 1.265 हैक्ट भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा एवं वर्तमान जमाबंदी के के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा खरीद की गई है लेकिन 0.253 हैक्ट कम दर्ज हुई है। वादी का कथन है कि रोही मौजा 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 66/66 के प0न0 330/410 मु0न0 47 के किला न0 2 से 8 की 7 बीघा, किला न0 13 से 18 की 6 किला, 23 से 25 की 3 बीघा कुल 16 बीघा भूमि है जिसमें भूरा वल्द लालुराम 5 किला, दाराराम वल्द हाड़ीराम 5 किला, पुनुराम वल्द लालुराम 3 किला व जगुराम वल्द लालुराम 3 कौम बाजीगर ने दिनांक 04.06.1967 को किमतन खरीद की थी जबकि राजस्व रिकार्ड में जगुराम वल्द लालु व नुरा व लालु के सही तौर दर्ज कर दी गई जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता पुनुराम वल्द लालु राम ने करीबन 3 बीघा के स्थान पर 4 बीघा भूमि कतई गलत तौर से दर्ज की गई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के 1/8 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 के 1/16 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 7 के 1/16 हिस्सा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जबकि बैयनामा दिनांक 04.07.1967 के मुताबिक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 के पिता दाराराम वल्द हाड़ीराम ने 5 किला यानि 1.265 हैक्ट भूमि खरीद की थी वर्तमान में 0.253 हैक्ट भूमि कम दर्ज कर दी गई जबकि मुताबिक बैयनामा के वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 को 1.265 हैक्ट भूमि के बहिब दर्ज करनी थी। वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 की 0.253 हैक्ट भूमि जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता ने अधिक दर्ज करवा रखी है वो कलमजन कर वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 7 के बहिब दर्ज की जावे। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 14 ने अपना हक हिस्सा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में अपना हक हिस्स जो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के पिता का नाम कलमजन करने पर बनता है वो अपने भाई व वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 के पिता पुनुराम वल्द लालुराम के नाम 0.2530 हैक्ट भूमि में से पुनुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 व 7 ता 14 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 66/66 के प0न0 330/410 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 0.253 हैक्ट भूमि में पुनुराम वल्द लालुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीत जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 300/2024

अनवान : –

1. जंगीराराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर हाल निवासी वार्ड स0 3 रानीया तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– वादी

बनाम्

1. देशराज पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
2. मुखराम पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
3. प्रताप पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
4. कृष्ण पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
5. अर्जुन पुत्र पुनुराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

7. तेजाराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
8. जीताराम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
9. बलवीर राम पुत्र दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
10. सुखपाल कौर पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
11. सरदारो बाई पुत्री बिल्लो बाई माता दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
12. बालाराम पुत्र बिल्लो बाई माता दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
13. आलोबाई पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।
14. राजरानी पुत्री दाराराम जाति बाजीगर निवासी रामसरा तहसील नोहर।

–तरतीबी प्रतिवादीगण

15. बलवीरो पत्नी रणजीत सिंह जाति बाजीगर निवासी चक अबोरिया तहसील सादुलशहर मटिली जिला श्रीगंगानगर।
16. जोगन्द्रो देवी पत्नी मुक्त्यार राम जाति बाजीगर निवासी पक्का कला बाजीगर महोल्ल तहसील जिला भटिण्डा।
17. सुखप्रीत पत्नी थानेदार जाति बाजीगर साकिन रता खेड़ा तहसील ऐलनाबाद।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 300 सन 2024 निर्णय दिनांक –28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदनमोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 66/66 के प0न0 330/410 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में से 0.253 हैक्ट भूमि में पुनुराम वल्द लालुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 7 दोनो को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.07 16:10:20 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर